2017 का विधेयक संख्यांक 219

[दि रिमूवल ऑफ होमलेसनेस बिल, 2017 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

आवासहीनता निराकरण विधेयक, 2017

प्रत्येक आवासहीन परिवार को कम कीमत पर सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय इकाई की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आवासीय योजना तैयार करने का उपबंध करके देश से आवासहीनता का निराकरण करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवासहीनता निराकरण अधिनियम, 2017 है।

(*2*) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार तथा अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''परिवार'' से वयस्क नागरिक, उसका पति/पत्नी तथा आश्रित बालक अभिप्रेत है; तथा

(ग) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

समुचित सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय इकाइयों का उपबंध।

3. (*1*) समुचित सरकार प्रत्येक आवासहीन परिवार के लिए कम कीमत पर सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय इकाई की व्यवस्था करेगी।

(*2*) उप-धारा (*1*) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके देश में आवासहीनता के निराकरण के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय आवास योजना तैयार करेगी।

(*3*) उप-धारा (*2*) में किसी बात के होते हुए भी, आवास योजना वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से नि:शक्त नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित नागरिकों, सार्वजनिक सड़कों या पार्कों, आश्रय-स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों में रहने वाले तथा सोने वाले नागरिकों और ऐसी अन्य श्रेणियों के नागरिकों के लिए जो समुचित सरकार उचित समझे नि:शुल्क या रियायती दर पर आवासीय इकाइयों की व्यवस्था करेगी।

समुचित सरकार आवास योजना कार्यान्वित करेगी।

4. समुचित सरकार, राष्ट्रीय आवास योजना को ऐसे लक्ष्यों तथा ऐसी रीति से कार्यान्वित करेगी जो विहित की जाए।

केन्द्रीय सरकार अपेक्षित निधि प्रदान करेगी।

5. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संसद की विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि प्रदान करेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

6. इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अप्लीकरण में नहीं होना।

7. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी भी मामले के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

8. (*1*) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आवास प्रत्येक मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए अपना मकान चाहता है परन्तु आवास की आपूर्ति तथा मांग के बीच भारी अंतर है तथा इसके परिणामस्वरूप आवासहीन परिवारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। लाखों लोग खुले आकाश के नीचे रहने तथा मौसम की अनिश्चितता का सामना करने के लिए बाध्य हैं, चाहे गर्मी के मौसम की तपन हो, मानसून की भारी वर्षा हो या अत्यधिक सर्दी का मौसम हो। शहरों में, विशेष रूप से बड़े तथा मेट्रोपॉलिटन शहरों में, लोग फुटपाथों, पार्कों, बस स्टैण्ड शेडों तथा अन्य खुले स्थानों पर रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग किसी भी बुनियादी सुविधा के बिना गंदगी वाली अमानवीय स्थिति में झुग्गियों, झोंपड़ियों, कच्चे तथा अर्ध-पक्के घरों में भी रह रहे हैं।

नागरिकों की आवास समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक राज्य में आवास बोर्ड तथा प्राधिकरण है। परन्तु ये बोर्ड तथा प्राधिकरण नागरिकों की आवास की मांग पूरा करने में असफल हुए हैं।

सभी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रसंविदा में सुरक्षित और उपयुक्त आवास के अधिकार को मान्यता दी गई है और हमारे देश ने ऐसे प्रसंविदाओं का अनुसमर्थन और पुष्टि की है। इसलिए, जरूरतमंद और बेघर नागरिकों को पर्याप्त आवास सुविधा देना देश का सर्वप्रथम कर्तव्य है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है। परन्तु प्रभावी कानून के अभाव में यह संभव नहीं है कि देश में आवास की समस्या का समाधान किया जा सके तथा आवासहीन नागरिकों को आवास प्रदान किया जा सके।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली; उदित राज

28 नवम्बर, 2017

7 अग्रहायण, 1939 (शक)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 3 में यह उपबंध है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक आवासहीन परिवार के लिए यथास्थिति, कम कीमत पर या निःशुल्क बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय इकाई की व्यवस्था करेगी। खण्ड 4 में उपबंध है कि उपयुक्त सरकार आवासीय योजना को क्रियान्वित करेगी। खण्ड 5 में उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएगी। अतः, इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर पांच सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय भी होगा।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

इस विधेयक का खण्ड 8 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इन नियमों का संबंध केवल ब्यौरे के मामलों से होगा, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

प्रत्येक आवासहीन परिवार को कम कीमत पर सभी बुनियादी सुविधाओं से
युक्त आवासीय इकाई की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आवासीय
योजना तैयार करने का उपबंध करके देश से
आवासहीनता का निराकरण
करने के लिए
विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—2723LS(S-3)—18.12.2017.